



This is a digitally signed gazette, to verify click [here](#).

राजपत्र, हिमाचल प्रदेश

हिमाचल प्रदेश राज्य शासन द्वारा प्रकाशित

शिमला शनिवार 26 नवम्बर, 2011 / 5 अग्रहायण, 1933

हिमाचल प्रदेश सरकार

प्रारम्भिक शिक्षा विभाग

अधिसूचना

शिमला, 171002, 25 नवम्बर, 2011

संख्या ई0डी0एन0-सी-ए(3)-3-2011.—हिमाचल प्रदेश की राज्यपाल, निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार नियम, 2009 के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए हिमाचल प्रदेश निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार नियम, 2011, जोकि इस विभाग के समसंख्यक पत्र दिनांक 5.3.2011 को अधिसूचित किये गये हैं के नियम 9 के उप नियम 9 में निम्न बदलाव करने की स्वीकृति प्रदान करती है।

9 (9) प्रत्येक स्वघोषणा एवं मान्यता की अर्जी निम्नलिखित मान्यता और निरीक्षण/नवीनीकरण शुल्क सहित दायर होगी :-

- (i) प्राथमिक स्कूल (कक्षा I-V) 5000/- रु0
- (ii) उच्च प्राथमिक स्कूल (कक्षा VI-VIII) 5000/- रु0
- (iii) स्कूल (I-VIII कक्षाओं वाले) 10,000/- रु0

उपरोक्त मान्यता शुल्क/मान्यता नवीनीकरण शुल्क सरकारी कोष में मुख्य शीर्ष 0202-शिक्षा, खेल कला एवं संस्कृति 01 सामान्य शिक्षा, 101, प्रारम्भिक शिक्षा, 05-निजी प्रबन्धन संस्थानों से प्राप्त फीस में जमा

करना होगा व मान्यता शुल्क की रसीद निजी शिक्षण संस्थानों द्वारा मान्यता सम्बन्धी आवेदन पत्र के साथ संलग्न की जायेगी। मान्यता की अवधि 5 वर्ष होगी।

इसके अतिरिक्त अधिनियम की धारा-2 (एन0) उप खण्ड (ii) तथा (iv) में निर्दिष्ट सभी विद्यमान स्कूलों के प्रबन्धक हर वर्ष शैक्षणिक सत्र आरम्भ होने के कम से कम 15 दिन पहले निर्धारित प्रपत्र पर अपना स्व-घोषणा पत्र संक्षम अधिकारी को प्रस्तुत करेंगे। मान्यता के नवीनीकरण हेतु 500 रुपये का शुल्क प्रति वर्ष देय होगा।

आदेश द्वारा,
हस्ताक्षरित /—
सचिव (शिक्षा)।

अपारम्परिक ऊर्जा स्रोत विभाग

अधिसूचना

संख्या एन0ई0एस0-बी (13)-1/2011

शिमला-171002, 25 नवम्बर, 2011

राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश "निःशक्त व्यक्ति (समान अवसर, अधिकार संरक्षण और पूर्ण भागीदारी) अधिनियम-1995" की धारा-33 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए अपारम्परिक ऊर्जा स्रोत विभाग के नियन्त्रणाधीन हिमाचल प्रदेश राज्य ऊर्जा विकास अभिकरण "हिमऊर्जा" में निःशक्त व्यक्तियों के निम्न पदों को आरक्षण से सहर्ष छूट प्रदान करती है-

1. मैकेनिक एवं फिटर

2. चालक

2. राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश "निःशक्त व्यक्ति (समान अवसर, अधिकार संरक्षण और पूर्ण भागीदारी) अधिनियम-1995" की धारा-32 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए अपारम्परिक ऊर्जा स्रोत विभाग के नियन्त्रणाधीन हिमाचल प्रदेश राज्य ऊर्जा विकास अभिकरण "हिमऊर्जा" में निःशक्त व्यक्तियों के निम्न पदों हेतु 3 प्रतिशत आरक्षण को निम्न प्रकार से चिन्हित करती है-

क्र० सं०	पद का नाम	श्रेणी	निःशक्त व्यक्ति का प्रवर्ग जिसके लिए पद आरक्षित है
1.	कनिष्ठ अभियन्ता	III	दृष्टि विकलांग (कमजोर दृष्टि), श्रवण विकलांग (आंशिक विकलांग), अस्थि विकलांग (एक बाजू)।
2.	डाटा एन्ट्री ऑपरेटर	III	दृष्टि विकलांग (कमजोर दृष्टि), श्रवण विकलांग (आंशिक विकलांग), अस्थि विकलांग (एक बाजू) एक टांग, एक बाजू एक टांग, दोनों टांगें।
3.	लिपिक	III	श्रवण विकलांग (आंशिक विकलांग), अस्थि विकलांग (एक बाजू), दृष्टि विकलांग (अन्धा, कमजोर दृष्टि), श्रवण विकलांग (वधिर), अस्थि विकलांग (एक बाजू), एक टांग, दोनों टांगें, एक बाजू एक टांग।
4.	उत्प्रेरक	III	दृष्टि विकलांग (कमजोर दृष्टि), श्रवण विकलांग (आंशिक विकलांग), अस्थि विकलांग (एक बाजू)।
5.	सेवाद्वार	IV	दृष्टि विकलांग (कमजोर दृष्टि), श्रवण विकलांग

			(आंशिक विकलांग), अस्थि विकलांग (एक बाजू)।
6.	चौकीदार	IV	दृष्टि विकलांग (कमजोर दृष्टि), श्रवण विकलांग (आंशिक विकलांग), अस्थि विकलांग (एक बाजू)।

आदेश द्वारा
प्रधान सचिव (अपारम्परिक ऊर्जा स्रोत),
हिमाचल प्रदेश सरकार।

[Authoritative English Text of this Department Notification No. NES-B(13)-1/2011, dated 25.11.2011 as required under clause (3) of Article 348 of the Constitution of India].

NON-CONVENTIONAL ENERGY SOURCES DEPARTMENT

NOTIFICATION

Shimla-171002, the 25th November, 2011

No. NES-B(13)-1/2011.—In exercise of the powers vested in her under Section 33 of the **“Persons With Disabilities (Equal Opportunities, Protection of Rights and Full Participation) Act, 1995”**, the Governor of Himachal Pradesh is pleased to exempt the following posts from 3% reservation to disabled persons, in the Himachal Pradesh Energy Development Agency HIMURJA under the Administrative Control of Department of Non-Conventional Energy Sources:-

1. Mechanic-cum-Fitter
2. Driver

2. In exercise of the powers vested in her under Section 32 of the **“Persons with Disabilities (Equal Opportunities, Protection of Rights and Full participation) Act, 1995”**, the Governor, Himachal Pradesh is pleased to identify following posts from 3% reservation to disabled persons in the Himachal Pradesh Energy Development Agency HIMURJA under the Administrative Control of Department of Non-Conventional Energy Sources as under:-

Sl. No.	Name of post	Class	Categories of Disabled persons for which the post is reserved
1.	Junior Engineer	III	VI(LV), HI(PD), OI(OA)
2.	Data Operator	III	VI(LV), HI(PD), OI(OA) OL, OAL, BL.
3.	Clerk	III	HI(PD), OI(OA), VI(B, LV) HI(HH) OI(OA, OL, BL, OAL).
4.	Motivator	III	VI(LV), HI(PD), OI(OA)
5.	Peon	IV	VI(LV), HI(PD), OI(OA)
6.	Chowkidar	IV	VI(LV), HI(PD), OI(OA)

By order,
Sd/-
Pr. Secretary (NES).

